संख्या-83/2020/2420/71-1-2020-जी-133/2018

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 01 जून, 2020

विषय:- कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं उपचार हेतु True NAT-Real time Quantitive Micro PCR के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में प्राविधानित की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/कोविड-19/513, दिनॉक 28-05-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं उपचार हेतु True NAT-Real time Quantitive Micro PCR (प्रति नग रू0 13,44,000/- की दर से 01 वर्ष की वारण्टी सहित) के क्रय हेतु राजकीय मेडिकल कालेजों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत निम्नांकित विवरणानुसार एवं शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन मेडिकल कालेजों हेतु "मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 2,55,36,000.00 (रू0 दो करोड़ पचपन लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	क्रय मात्रा	धनराशि
1	मेडिकल कालेज, कानपुर	02	2688000.00
2	मेडिकल कालेज, आगरा	02	2688000.00
3	मेडिकल कालेज, मेरठ	02	2688000.00
4	मेडिकल कालेज, प्रयागराज	02	2688000.00
5	मेडिकल कालेज, झॉसी	02	2688000.00
6	मेडिकल कालेज, गोरखपुर	02	2688000.00
7	मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	01	1344000.00
8	मेडिकल कालेज, बदायूँ	01	1344000.00
9	मेडिकल कालेज, बॉदा	01	1344000.00
10	मेडिकल कालेज, सहारनपुर	01	1344000.00
11	मेडिकल कालेज, आजमगढ़	01	1344000.00
12	मेडिकल कालेज, जालौन	01	1344000.00
13	मेडिकल कालेज, कन्नौज	01	1344000.00
	योग-	19	25536000.00

2- नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही True NAT-Real time Quantitive Micro PCR मशीन का क्रय किया जाये।

3- True NAT मशीन के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों की विशिष्टियों के निर्धारण एवं आडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।

4- True NAT मशीन (04 स्लॉट की सुविधायुक्त) एवं किट्स के स्पेक्स एवं गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

5- महानिदेशक द्वारा Molbio Diagnostics Pvt. Ltd. फर्म के कोटेशन के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, यदि संबंधित फर्म द्वारा गलत सूचना दी गयी है, तो फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जायेगा।

6- मशीन क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- मशीन क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- कोविड'-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 संबंधित संस्था को यथापेक्षित सहयोग प्रदान कर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

9- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

12- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।

13- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन संबंधित मेडिकल कालेजों में पूंजी लेखा के मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डॉ0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या:- 83/2020/2420(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित जिलाधिकारी।
3- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, झॉसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, बदायूँ, बॉदा, सहारनपुर, आजमगढ़, जालौन तथा कन्नौज।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, झॉसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, बदायूँ, बॉदा, सहारनपुर, आजमगढ़, जालौन तथा कन्नौज।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, झॉसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, बदायूँ, बॉदा, सहारनपुर, आजमगढ़, जालौन तथा कन्नौज।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।